रिपोर्ट सं. 73830-IN

निरीक्षण पैनल
रिपोर्ट और सिफ़ारिशें

भारतः
विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना
(आईबीआरडी 8078-IN)

26 नवम्बर, 2012

निरीक्षण पैनल

निरीक्षण के लिए अनुरोध पर
रिपोर्ट और सिफ़ारिशें

भारतः विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना (आईबीआरडी 8078-IN)

(क) **परिचय**

यह रिपोर्ट

1. इस रिपोर्ट और निरीक्षण के लिए अनुरोध पर रिपोर्ट और सिफ़ारिशों (इसके बाद *रिपोर्ट)* का, निरीक्षण पैनल (इसके बाद *"पैनल"*) स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव (इसके बाद *प्रस्ताव*)[1] के अनुसार, यह उद्देश्य है कि वह कार्यकारी निदेशक मंडल को अनुरोध की तकनीकी पात्रता के बारे और प्रस्ताव में शामिल अन्य कारकों के संबंध में सिफ़ारिश दे कि क्या पैनल को इस रिपोर्ट में आरोपित मुद्दों की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। 1999 के स्पष्टीकरण[2] के अनुसार पैनल के अवधारण *(डेटर्मिनेशन*) का उल्लेख नीचे खंड ई (क) में दिया गया है; खंड ई (ख) में पैनल के उन अन्य कारकों पर विचारों *(ऑब्ज़र्वेशंस)* पर ग़ौर किया गया है, जिन पर बोर्ड को सिफ़ारिश करते समय विचार किया गया है। पैनल की सिफ़ारिशें खंड एफ़ में प्रस्तुत की गई हैं।

पैनल प्रोसेस

2. 23 जुलाई, 2013 को पैनल को भारतः विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना (परियोजना या वीपीएचईपी) के संबंध में निरीक्षण के लिए एक अनुरोध ("अनुरोध") मिला। यह अनुरोध पत्र चमोली ज़िले के कुछ निवासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने बताया था कि वे अलकनंदा नदी के किनारे रहते हैं और वे विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना से प्रभावित होने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते कि नदी का रुख बदला जाए या इसे किसी भी तरह नियंत्रित किया जाए। अन्य अनुरोधकर्ता टिहरी ज़िले का निवासी है। सभी अनुरोधकर्ता भारत में उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और कुछ ने कहा है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए।

[1] इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (प्रस्ताव आईबीआरडी 93-10) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (प्रस्ताव 93-6), "द वर्ल्ड बैंक इंस्पेक्शन पैनल", 22 सितम्बर, 1993 (आगे *"प्रस्ताव"*), पैरा 19. यह http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/ResolutionMarch2005.pdf पर उपलब्ध है।

[2] "1999 Clarification of the Board's Second Review of the Inspection Panel/Resources", अप्रैल 1999 (आगे *"1999 का स्पष्टीकरण),* जो http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/1999ClarificationoftheBoard.pdf पर उपलब्ध है।

3. पैनल ने उक्त अनुरोध 3 अगस्त, 2012 को दर्ज किया। प्रबंध-मंडल ने निरीक्षण के लिए अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने के लिए दो बार समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया।[3] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया 24 अक्टूबर, 2012 को मिली।

(ख) **परियोजना**

4. विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना (वीपीएचईपी) गंगा नदी की सहायक नदी अलकनंदा पर प्रस्तावित 444 मेगावाट की *रन-ऑफ-द-रिवर* पन-बिजली उत्पादन परियोजना है। परियोजना के उद्देश्य हैं - "(क) पुनरुपयोगी *लो-कार्बन* ऊर्जा का समावेश करते हुए भारत के राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करना; और (ख) आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टि से व्यावहारिक पन-बिजली परियोजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के संबंध में *बॉरोअर* (ऋण लेने वाले) की संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करना।"[4]

5. *वीपीएचईपी आईबीआरडी* से मिलने वाले 64.8 करोड़ डॉलर के ऋण से वित्त-पोषित पर्यावरणीय श्रेणी 'ए' की परियोजना है। टिहरी पन-बिजली विकास निगम *(टीएचडीसी) बॉरोअर* और भारत सरकार *गारंटर* है। 1988 में स्थापित सार्वजनिक उपक्रम *टीएचडीसी* भारत सरकार, जिसका अंशदान सर्वाधिक है, और उत्तराखंड सरकार का साझा उपक्रम है; इसका उद्देश्य उत्तरी भारत में *बेस-लोड* पन-बिजली उत्पादन क्षमता का विकास करना है और इस समय यह *वीपीएचईपी* जैसी *रन-ऑफ-द-रिवर* परियोजनाओं का विकास करने के कार्य का विस्तार कर रहा है, जो वर्ष में 90 प्रतिशत विश्वसनीय 1,636 GWh बिजली का उत्पादन करने के लिए पीक उत्पादन क्षमता में अंशदान कर सकती हैं।

6. परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज़ *(प्रोजेक्ट अप्रेज़ल डॉक्युमेंट - पीएडी)* के अनुसार *"वीपीएचईपी परियोजना की अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की मुख्य विशेषताएं हैं - 65 मीटर ऊंचा डाइवर्ज़न बांध; 13.4 किमी. लंबी हैडरेस टनल (सुरंग)); एक भूमिगत बिजलीघर; और एक 3 किमी. लंबी टेलरेस टनल, जो डाइवर्ट किए गए पानी को अलकनंदा में लौटाएगी। परियोजना की प्रमुख अवसंरचना उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर (राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के सामने) स्थित होगी। वीपीएचईपी से संयंत्र की परिचालन अवधि के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के इमिशन में लगभग 16 लाख टन प्रतिवर्ष की कमी होने की आशा है।"* [5]

---

[3] भारत के निरीक्षण पैनल की समीक्षा के लिए अनुरोध पर प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रियाः विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना (आईबीआरडी 8078-IN), 24 अक्टूबर, 2012, वर्ल्ड बैंक (आगे *"प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया"*)।

[4] भारत सरकार की गारंटी पर विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन-बिजली परियोजना के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को दिए जाने वाले 64.8 करोड़ अमरीकी डॉलर के प्रस्तावित ऋण के बारे में परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज़ *(पीएडी),* 10 जून, 2011, पृ.8.

[5] *पीएडी,* पृ.8.

7. **वित्तपोषणः** ऋण निदेशक मंडल द्वारा 30 जून, 2011 को स्वीकृत किया गया था और इसके 31 दिसम्बर, 2017 को क्लोज़ होने की आशा है। पैनल को निरीक्षण के लिए अनुरोध मिलने तक लगभग 0.25% ऋण वितरित हो चुका था।

8. **परियोजना की स्थितिः** परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन निर्माण-संबंधी प्रमुख गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि मुख्य सिविल (निर्माण) कार्य के लिए ठेका अभी दिया जाना है। यह ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय से दूसरे चरण का फ़ॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल जाता। लेकिन थोड़ा-बहुत निर्माण कार्य और पुनर्वास हो चुका है, जिसकी रूपरेखा नीचे खंड घ में दी गई है।

(ग) अनुरोधः

9. निरीक्षण के लिए अनुरोध पत्र का सारांश यहां दिया जा रहा है। अनुरोध पत्र संलग्नक 1 के तौर पर यहां संलग्न है।

10. अनुरोध-पत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण-संबंधी कई चिंताओं के साथ-साथ बैंक की नीतियों और कार्यप्रणालियों का पालन करने से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है।[6]

11. धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्देः अनुरोध करने वालों का मानना है कि अलकनंदा नदी के निर्बाध (बाधारहित मुक्त) बहाव का उनके लिए भारी आध्यात्मिक और एस्थेटिक महत्तव है, जिसका उनके विचार में परियोजना अधिकारियों द्वारा आकलन नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नदी के जल को सुरंग में डाइवर्ट करने से इसका बाधारहित बहाव रुक जाएगा और नदी के *"विशेष गुण"* नष्ट हो जाएंगे। अनुरोध करने वालों ने कहा है कि स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई है और यह कि *"स्नान, समारोह, अंतिम संस्कार और नदी की पूजा आदि जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के लिए जल उपलब्ध नहीं है।"*

12. अनुरोध पत्र के साथ संलग्न ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों का कहना है कि लाखों-करोड़ों लोगों द्वारा गंगा नदी की "सजीव देवी" के तौर पर पूजा की जाती है, जिन्हें इसमें निर्बाध बहने वाले जल से *"एस्थेटिक, नॉन-यूज़ और एक्ज़िस्टेंस वैल्यू"* मिलती है तथा परियोजना से यह *वैल्यू* घट जाएगी। ज्ञापन में *नॉन-यूज़ वैल्यू* को मापने की कार्यपद्धति का विवरण दिया गया है, जिसका अनुरोध करने वालों के अनुसार, भारत के योजना आयोग द्वारा तीन राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में इस्तेमाल किया गया है। ज्ञापन में आगे कहा गया है, कि पन-बिजली से होने वाले लाभों का मूल्यांकन सामान्य तौर पर *"बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया लगता है"* और हांलाकि इन लाभों को *"सुविकसित मॉडलों"* के ज़रिये *क्वांटिफ़ाई* किया जा सकता है, लेकिन नदी के निर्बाध बहाव से पर्यावरण, वनों और जनता

[6] अनुरोध के साथ विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन *(रिप्रेज़ेन्टेशन)* भी संलग्न है, जिसमें 9 परिशिष्ट हैं।

की आध्यात्मिक ज़रूरतों को पहुंचने वाले नुक़सान को विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। अनुरोध करने वालों के अनुसार *वीपीएचईपी* के साथ भी यही स्थिति है।

13. ***जल की कमीः*** अनुरोध करने वालों ने दावा किया है कि नदी के उस हिस्से में, जिसमें जल को भूमिगत सुरंगों, अर्थात् 13.4 किमी. लंबी हैडरेस सुरंग+3 किमी. लंबी टेलरेस सुरंग में डाइवर्ट किया जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। उनका कहना है कि जल की कमी का पशुओं के झुंडों पर विशेष रूप से असर पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि नदी के पर्यावरणीय प्रवाह का अनुमान नहीं लगाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि निर्माण कार्य से संबंधित *ब्लास्टिंग* (विस्फोटों) के परिणामस्वरूप *हाट* गांव में 6 जल-स्रोत पहले ही सूख चुके हैं और वैकल्पिक जल-स्रोत सुलभ नहीं कराए गए हैं।

14. ***जल की गुणवत्ताः*** अनुरोध करने वालों का कहना है कि अलकनंदा का जल सुरंग में डाइवर्ट और इसके निर्बाध बहाव में रुकावट पैदा कर देने से इसके जल की गुणवत्ता घट जाएगी। उनका यह भी कहना है कि डि-सिल्टिंग चैम्बरों के ज़रिये गाद *(सिल्ट)* की निकासी करने से गाद को हैडरेस टनल में जाने से रोकने और अंततः इसे नदी के बहाव की दिशा में रिलीज़ कर देने से *"स्थानीय तापमान"* और *"जलीय (एक्वेटिक) जीवन"* प्रभावित होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जलाशय का जल *मीथेन* छोड़ेगा और इसके ठहराव से जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जएगी।

15. ***जैवविविधता को क्षतिः*** अनुरोध करने वालों ने जलीय प्रजातियों को पहुंचने वाली क्षति और लुप्तप्रायः प्रजातियों (जैसे *चीर फ़ीसेंट, औटर* और *महासीर* मछली) के प्राकृतिक पर्यावास *(हैबिटैट)* में आने वाले बिगाड़ पर भी चिंता जताई है। अनुरोधकर्ताओं का मानना है कि इन प्रजातियों के प्राकृतिक पर्यावास परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं।

16. ***पर्यावरण को पहुंचने वाली अन्य क्षतिः*** अनुरोध करने वालों ने कहा है कि बांध का निर्माण होने की वजह से होने वाले निर्वनीकरण *(डिफ़ॉरेस्टेशन)* से स्थानीय तापमान में वृद्धि हो रही है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है और यह, कि जलाशय से रिलीज़ होने वाली मीथेन से उक्त समस्या और बढ़ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है, कि परियोजना से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ों की खुदाई करने से भूस्खलन का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा, अनुरोध करने वालों का विश्वास है कि जलाशय से *"कोहरा और बीमारियां पैदा होंगी"* तथा इसका जलाशय के इर्द- गिर्द ज़मीन पर भी बुरा असर पड़ेगा।

17. ***आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावः*** अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि *"बांध से लोगों को नदी से मिलने वाले लाभ घट जाएंगे,* जैसे, उदाहरण के तौर पर, नदी से बालू (रेत) या मछलियां प्राप्त करना। उनका यह भी कहना है कि निर्वनीकरण से जुड़ी तापमान में होने वाली वृद्धि से स्थानीय फ़सलों पर भी असर पड़ रहा है और यह कि परियोजना से उड़ने वाली धूल से खेती, वन और जानवरों के लिए चारे पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

18. ***स्वास्थ्यः*** अनुरोधकर्ताओं ने दावा किया है कि जलाशय से बीमारियां पैदा होंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि परियोजना का निर्माण करने के लिए बाहर से आने वाले मज़दूर भी बीमारियां फैलाएंगे, क्योंकि वे आम तौर पर अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं ।

19. ***आर्थिक नुक़सानः*** अनुरोध करने वालों ने कहा है कि उस इलाके में स्थित मकानों और ज़मीनों में भी दरारें पड़ गई हैं, जिनमें सुरंग खोदी जाएगी (पैनल का मानना है कि अनुरोधकर्ताओं के विचार में ये दरारें अन्वेषणात्मक भूवैज्ञानिक कार्य की वजह से पड़ी हैं) और इसके लिए मुआवज़े की कोई व्यवस्था नहीं है। अनुरोधकर्ताओं को डर है कि अगर इस इलाके में कोई भूकम्प आया तो ये मकान गिर जाएंगे, क्योंकि यह इलाका अत्यंत जोखिमपूर्ण भूकंपीय क्षेत्र में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इन पर्यावरण-संबंधी और सामाजिक नकारात्मक प्रभावों का ख़ामियाज़ा स्थानीय निवासियों को ही झेलना पड़ेगा, जबकि यहां पैदा होने वाली बिजली बुनियादी तौर पर शहरी केन्द्रों के काम आएगी।

20. ***स्त्री-पुरुष भेदभाव संबंधी मुद्देः*** अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि *"स्थानीय संस्कृति और महिलाओं की स्वतंत्रता"* बाहर से आने वाले श्रमिकों की वजह से प्रभावित होती रही है और आगे भी प्रभावित होती रहेगी तथा इसकी क्षतिपूर्ति कर पाना कठिन होगा।

21. ***खुलेपन (ट्रांसपैरेंसी) और सलाह-मशविरे की कमीः*** अनुरोध-पत्र में दावा किया है कि परियोजना के संबंध में की गईं सार्वजनिक सुनवाइयां "दिखावा" मात्र थीं और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी कहा है कि परियोजना का विरोध किया गया था, लेकिन इस पर "विचार नहीं किया गया"। ज्ञापन में कहा गया है कि *"परियोजना शुरू करने या इसके वित्तपोषण के बारे में निर्णय लेने से पहले इस बारे में कोई विश्वसनीय विचार-विमर्श नहीं किया गया"*।

22. **अध्ययन की कमीः** अनुरोध-पत्र में कहा गया है कि एक ही नदी पर अनेक बांधों के निर्माण से नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, लेकिन प्रभावों के आवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के ज़रिये इनका कोई विश्लेषण नहीं किया गया। अनुरोध-पत्र के साथ संलग्न ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि न तो बैंक ने *नो-प्रोजेक्ट* परिदृश्य का कोई विश्लेषण किया है और न ही स्थानीय जनता समेत विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले परियोजना के प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

23. ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों ने पूरी नदी को बैराज से बाधित करने के बजाय कुछ जल को बेरोकटोक बहने देने की व्यवस्था करने के लिए परियोजना का नए सिरे से डिज़ाइन बनाने का प्रस्ताव रखा है। अनुरोधकर्ताओं के विचार में ऐसा करने से परियोजना के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में कमी आएगी और तलछट (सेडिमेंट) का बहना और मछलियों का आना-जाना संभव होगा। आंशिक बाधा के उदाहरण के तौर पर अनुरोधकर्ताओं ने हरिद्वार में भीमगोडा बैराज का हवाला दिया

है, जिसमें *"निरंतर और निर्बाध बहाव"* की व्यवस्था है और जिसका निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा हिन्दू समुदाय के विचारों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्व बैंक ने इस विकल्प का अध्ययन ही नहीं किया।

24. ज्ञापन में यह आरोप भी लगाया गया है कि विश्व बैंक की परिचालन-संबंधी कई नीतियों का उल्लंघन किया गया है और इस बारे में विवरण दिया गया है कि अनुरोधकर्ताओं के मत में इन नीतियों का किस प्रकार से उल्लंघन किया गया है।

25. अंततः, अनुरोधकर्ताओं ने कहा है कि वे ये मुद्दे विश्व बैंक के संबंधित स्टॉफ़ के सामने उठा चुके हैं और इन पर मिली प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। अनुरोधकर्ताओं ने आगे कहा है कि वे अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नहीं चाहते कि विश्व बैंक इसके लिए वित्तीय सहायता सुलभ कराए और निरीक्षण पैनल से *"इस ऋण का निरीक्षण"* करने के लिए अनुरोध करते हैं।

(घ) प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया

26. प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया का सारांश यहां दिया जा रहा है और इसकी पूरी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक II के रूप में संलग्न है।

27. प्रबंध-मंडल का कहना है कि भारत सरकार ने जुलाई 2006 में विश्व बैंक से परियोजना को वित्त सुलभ कराने का अनुरोध किया था, जो *"पर्यावरण और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपेक्षाकृत साधारण जोखिम वाली"* परियोजना है। प्रबंध-मंडल के अनुसार परियोजना में पुनर्वास का स्तर बहुत कम है, जिसमें 265 परिवार शामिल हैं, और हालांकि 21 हेक्टेयर भूमि डूब जाएगी, इससे कोई विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि कोई मकान, अवसंरचना, कृषि भूमि या सामान्य अवसंरचना नहीं डूबेगी। इसके अलावा, संपर्क-सड़कों, परियोजना, इसके कार्यालय परिसर, स्विच यार्ड तथा क्वेरी एरिया के निर्माण के लिए कुल मिलाकर 109.93 हेक्टेयर सरकारी और वन पंचायत (सामुदायिक वन) की ज़मीन तथा 31.64 हेक्टेयर निज़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी।[7]

28. प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि डाइवर्ज़न बांध और बिजलीघर तक पहुंचाने वाली सड़कें बन चुकी हैं और भूमि अर्जित करने, सामुदायिक सुविधाओं की हानि और ईंधन तथा चारे के नुक़सान के लिए भुगतान करने का काम *"काफी हद तक पूरा"* हो चुका है। प्रबंध मंडल ने यह भी कहा है कि हाट गांव का स्वैच्छिक पुनर्वास-संबंधी काम, जहां के 265 परिवारों में से 92% ने *"पुनर्वास के लिए अनुरोध किया था"*, *"सुचारू रूप से चल रहा है"*।[8]

[7] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.3.

[8] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.4.

29. प्रबंध-मंडल ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा की गई अनेक शिकायतों, विशेषकर निर्माण-संबंधी प्रभावों के बारे में शिकायतों का परियोजना से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सुरंगों तथा परियोजना की प्रमुख अवसंरचनाओं का निर्माण अभी नहीं हुआ है और मुख्य निर्माण के लिए अभी तक अनुबंध (ठेका) नहीं किया गया है।

30. **विकास का संदर्भः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि भारत में ऊर्जा की कमी इसकी संवृद्धि के मार्ग में एक बाधा है और बिजली की मौजूदा आपूर्ति बिजली की मांग में हो रही वृद्धि के अनुरूप नहीं है। प्रबंध-मंडल ने कहा है कि हालांकि भारत सरकार ने ऊर्जा के सभी स्रोतों के लिए आक्रामक लक्ष्य नियत किए हैं, कोयले से होने वाला बिजली का उत्पादन अभी तक संस्थापित क्षमता के 56 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है और निकट भविष्य में *एनर्जी मिक्स* (मिली-जुली ऊर्जा के उत्पादन) पर अपनी प्रमुखता बनाए रखेगा, जिसमें *विश्व के पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय जोखिम* निहित हैं, क्योंकि बिजली का क्षेत्र भारत के ग्रीन हाउस गैस इमिशन के आधे का अंशदान करता है। प्रबंध-मंडल का कहना है कि "भारत की उल्लेखनीय पन-बिजली क्षमता का दोहन करना एक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत सरकार के अनुमान के अनुसार *बेस-लोड* और *पीक* अवधि में बिजली की मांग दोनों पर ध्यान देने का महत्त्वपूर्ण तरीका है। प्रबंध-मंडल का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता, तो इस बात की काफी संभावना है कि भारत को कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन की अपनी क्षमता का तेज़ी से विस्तार करने पर विवश होना पड़ेगा।[9]

31. **पन-बिजली और गंगा नदी के विकास पर बहसः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि यह पनबिजली के संबंध में अनुरोधकर्ताओं के संदेहों *(रिज़र्वेशंस)* से सहमत नहीं है। प्रबंध-मंडल का विश्वास है कि *"भारत में नदियों, विशेषकर गंगा और इसकी सहायक नदियों के विकास के बारे में चल रही राष्ट्रीय बहस पन-बिजली तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों के संबंध में निरीक्षण के लिए अनुरोध में उठाए गए मुद्दों का व्यापक संदर्भ है।"* प्रबंध-मंडल ने उल्लेख किया है कि इन मुद्दों ने 2008 में उस समय राष्ट्रीय महत्त्व अर्जित कर लिया था, जब धार्मिक और पर्यावरण से जुड़े नागरिक संगठनों ने सरकार से भागीरथी नदी पर, जो गंगा नदी की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है, तीन पन-बिजली परियोजनाओं को रद्द करने की मांग की थी[10], जिनमें से किसी में भी विश्व बैंक शामिल न था। नवम्बर 2008 में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया और फरवरी 2009 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण स्थापित कर दिया, जिसका कार्य है गंगा नदी का प्रबंधन करना।[11]

32. **पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकताः** प्रबंध-मंडल ने कहा है कि बुनियादी चिंता तो यह है कि गंगा नदी पर पन-बिजली के विकास पर बहस में जो बुनियादी मुद्दा सामने आया है वह है पर्याप्त पर्यावरणीय

[9] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.4.

[10] ये परियोजनाएं थीं - उत्तराखंड में लोहारीनाग-पाला हाइडल परियोजना, माला मानेरी हाइडल परियोजना और भैरोंघाटी हाइडल परियोजना।

[11] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.8.

प्रवाह सुनिश्चित करने का मुद्दा।[12] परिणामस्वरूप, जुलाई 2010 में सरकार ने *"भागीरथी और अलकनंदा के बेसिनों (उत्तराखंड) में पन-बिजली परियोजनाओं के "आवर्ती प्रभाव"* का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की *(आईआईटीआर),* और भारतीय वन्यजीव संस्थान *(डब्ल्यूआईआई)* को नियुक्त किया।" प्रबंध-मंडल ने आगे बताया है कि *आईआईटीआर के लिए कार्य की शर्तों में प्रस्तावित पन-बिजली विकास के आवर्ती प्रभावों की विस्तृत समीक्षा करने को कहा गया था* और *डब्ल्यूआईआई के लिए कार्य की शर्तें जलीय (एक्वेटिक) और पार्थिव (टेरेस्ट्रियल) जैव-विविधता पर केन्द्रित थीं। आईआईटीआर* का अध्ययन अप्रैल 2011 में जमा किया गया और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रवाहों को बढ़ाने के बारे में इसकी सिफ़ारिशों को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप *वीपीएचईपी* के लिए प्रवाह को पहले स्वीकृत 3 घन मीटर प्रति सेकंड *(क्यूमेक्स)* से बढ़ाकर 15.65 *क्यूमेक्स* कर दिया गया। प्रबंध-मंडल ने उल्लेख किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक बार आवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन को अंतिम रूप से स्वीकार कर लेने के बाद *वीपीएचईपी* की प्रवाह-संबंधी ज़रूरतों को पुनः संशोधित किया जा सकता है।[13]

33. *डब्ल्यूआईआई के उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी के बेसिनों में जलीय और पार्थिव जैव-विविधता पर पन-बिजलीघरों का आवर्ती मूल्यांकन* शीर्षक अध्ययन अप्रैल 2012 में प्रस्तुत किया गया। प्रबंध-मंडल का कहना है कि इसी महीने प्रधानमंत्री ने विशाल पन-बिजली संयंत्रों के विकास में गंगा के इस्तेमाल में *सोसाइटल ट्रेड-ऑफ़्स* तथा भारत सरकार के विचारार्थ सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने समेत विकास-संबंधी प्रमुख मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बहुविषयक चतुर्वेदी आयोग[14] का गठन किया था। चतुर्वेदी आयोग पर "*आईआईटीआर* तथा *डब्ल्यूआईआई* की रिपोर्ट्स द्वारा की गई सिफ़ारिशों में, जिनमें भागीरथी और अलकनंदा के विकास के आवर्ती प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है, किसी भी संभावित विसंगति को दूर करने की ज़िम्मेदारी भी है।[15]

34. प्रबंध-मंडल ने यह भी उल्लेख किया है कि एक अनुरोधकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों ने राज्य सभा के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत करते हुए *"सुरंग-आधारित पन-बिजली परियोजनाएं तैयार करने की नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।"* प्रबंध-मंडल ने कहा है कि इस याचिका से *"व्यापक प्रकृति के अनेक मुद्दे (जो विशेष रूप से वीपीएचईपी से ही संबंधित नहीं है) उठते हैं, जो निरीक्षण के लिए अनुरोध में भी प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य सभा की एक उप-समिति संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों से मिल रही है और विचार-विमर्श के लिए कोई विशेष समय-सारणी नहीं है।"*[16]

---

[12] विश्व बैंक ने पर्यावरणीय प्रवाहों की व्याख्या *"कंपोनेंट्स, कामकाज, कार्य-प्रक्रियाओं के रखरखाव के लिए ज़रूरी जल के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और इसके समय तथा एक्वेटिक ईकोसिस्टम्स (जलीय पारिस्थितिकी-कार्यप्रणालियों) के लचीलेपन के रूप में की है, जो जनता को सामग्री और सेवाएं सुलभ कराते हैं"। स्रोतः* विश्व बैंक वेबसाइटः http://water.worldbank.org/topics/environmental-services/environmental-flows (26 नवम्बर, 2012 को *अपडेट* किया गया।

[13] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.9.

[14] गंगा नदी से संबंधित मुद्दों पर *इंटरमिनिस्ट्रीयल ग्रुप* (अंतर-मंत्रालय ग्रुप) के नाम से भी सुविदित।

[15] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.9.

[16] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.8.

35. प्रबंध-मंडल ने बताया है कि दो समीक्षाओं - राज्य सभा की समीक्षा और चतुर्वेदी आयोग की समीक्षा - में वैसे ही मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, जो अनुरोध में उठाए गए मुद्दों जैसे ही हैं।

36. **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल - एन्जीटी)* -** प्रबंध-मंडल ने कहा है कि अनुरोधकर्ताओं में से एक ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें *वीपीएचईपी* के पहले चरण के *वन क्लियरेंस* को इस आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों के साथ-साथ पन-बिजलीघरों की श्रृंखला के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कराया गया आवर्ती प्रभावों का मूल्यांकन दोषपूर्ण है और इनके द्वारा की गई सिफ़ारिशें वन क्लियरेंस के लिए आधार का काम नहीं कर सकतीं। प्रबंध-मंडल के अनुसार न्यायाधिकरण ने 14 दिसम्बर, 2011 को जारी किए गए अपने निर्णय में याचिका को अस्वीकार कर दिया था तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के पहले चरण के क्लियरेंस को परियोजना की प्रकृति, इससे होने वाले संभावित लाभों और वन आवरण को होने वाली न्यूनतम हानि को देखते हुए न्यायसंगत ठहराया।[17] प्रबंध-मंडल ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।[18]

37. **हतसारी टोक बस्ती के निवासियों द्वारा व्यक्त चिंताएं** - प्रबंध-मंडल ने कहा है कि (हाट गांव के राजस्व क्षेत्र में स्थित) हतसारी टोक बस्ती के निवासियों द्वारा उठाई गई कुछ स्थानीय चिंताओं का परियोजना की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। प्रबंध-मंडल ने बताया है कि *टीएचडीसी* ने इस बात का मूल्यांकन करने के लिए एक तीसरे पक्ष को नियुक्त किया है कि क्या मकानों में दरारों का पड़ना और हतसारी में जल-स्रोतों का सूख जाना भूवैज्ञानिक अन्वेषी कार्य का परिणाम था, जैसा कि निवासियों द्वारा दावा किया गया है, या फिर यह 1999 में आए भूकम्प का परिणाम था। प्रबंध-मंडल के अनुसार यह मूल्यांकन तथाकथित नकारात्मक प्रभावों तथा भूवैज्ञानिक अन्वेषण के बीच संबंध स्थापित करने में असफल रहा है। लेकिन, सद्भावना से प्रेरित कदम के तौर पर टीएचडीसी ने इन दरारों की मरम्मत कराने और बस्ती को जल-आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हतसारी के निवासियों ने इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।[19]

38. प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि हतसारी के निवासियों ने अन्वेषी गतिविधियों की वजह से फ़सल को पहुंचने वाले नुक़सान की शिकायत भी की है और स्थानीय अधिकारियों ने नुक़सान का मूल्यांकन करने के बाद मुआवज़ा तय कर दिया है। यह मुआवज़ा पाने के लिए हतसारी के निवासियों से एक आवेदन पत्र तथा बैंक-संबंधी विवरण देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

---

[17] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.5.

[18] पैनल को पता चला है कि याचिकाकर्ताओं ने *एनजीटी* के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। यह अपील अभी तक विचाराधीन है।

[19] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.10.

39. प्रबंध-मंडल ने यह भी नोट किया है कि *टीएचडीसी* ने मार्च 2012 में बिजलीघर तक ले जाने वाली संपर्क सुरंग का अलाइनमेंट बदल दिया है, ताकि परियोजना के बस्ती पर पड़ने वाले तथाकथित प्रभाव को दूर किया जा सके। इससे हतसारी में भूमि अर्जित करने की आवश्यकता मूल योजना में 8 हेक्टेयर से घटकर 0.6 हेक्टेयर रह गई है। प्रबंध-मंडल के अनुसार दो परिवारों ने, जो इस ज़मीन के स्वामी हैं, मुआवज़ा ले लिया है।

40. **पर्यावरणीय मूल्यांकनः** प्रबंध-मंडल ने कहा है कि बैंक द्वारा अगस्त 2006 में प्रारंभिक स्क्रीनिंग करने के बाद परियोजना को "ए" श्रेणी दी गई थी, जिसके बाद अतिरिक्त अध्ययनों की पहचान की गई, जो *टीएचडीसी* द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा अप्रैल 2008 और मई 2009 के बीच किए गए।[20] प्रबंध-मंडल ने बताया है कि मूल पर्यावरणीय मूल्यांकन और अतिरिक्त पर्यावरणीय अध्ययन को समेकित पर्यावरणीय मूल्यांकन *(ईए)* तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना *(ईएमपी)* में एकीकृत कर दिया गया था, जिनके मसौदे *(ड्राफ़्ट)* पर सितम्बर 2009 को परियोजना के क्षेत्र में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में विचार-विमर्श किया गया था। प्रबंध-मंडल ने नोट किया है कि इनके अंतिम मसौदे *टीएचडीसी* की वेबसाइट तथा परियोजना स्थल पर स्थित इसके सूचना केन्द्र *(पीआईसी)* पर उपलब्ध हैं।[21]

41. **विकल्पों का मूल्यांकनः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि ओपी 4.01 द्वारा अपेक्षित विकल्पों का एक विश्लेषण किया गया, जिसमें *"अनगिनत"* तकनीकी और साइटिंग विकल्पों का अध्ययन और *"नो प्रोजेक्ट"* (कोई परियोजना नहीं) की स्थिति का मूल्यांकन शामिल था। प्रबंध-मंडल के अनुसार विशेषज्ञों के दो पैनलों द्वारा परामर्श भी सुलभ कराया गया। प्रबंध-मंडल ने नोट किया है कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम से कम करने के लिए डाइवर्ज़न बांध और हैडरेस तथा टेलरेस सुरंगों, बिजलीघर और संपर्क-सड़कों के लिए अंतिम तौर पर निर्माणस्थलों *(फ़ाइनल साइट्स)* का चुनाव किया गया। प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में आगे कहा गया है कि *कोई परियोजना नहीं* की स्थिति "व्यावहारिक नहीं है", क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा की कमी और बढ़ जाती है तथा वैकल्पिक प्रदूषणकारी बिजली-उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।[22]

---

[20] प्रबंध-मंडल ने कहा है कि इन अतिरिक्त अध्ययनों में (i) अलकनंदा नदी के परियोजना वाले टुकड़े *(स्ट्रेच)* में पारिस्थितिकी-प्रवाह का अध्ययन; (ii) परियोजना के जलीय और पार्थिव जैव-विविधता-संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन; और (iii) पुरातात्विक, भौतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का मूल्यांकन शामिल हैं। इनके अलावा, परियोजना के डिज़ाइन से अवगत कराने के लिए निम्न अध्ययन कराए गए (iv) परियोजना के लिए *सेफ़्टी एश्योरेंस प्लान;* (v) *एसआईए* और *आरएपी;* (vi) *कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (कैट)*। देखें प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §2, पृ. 21.

[21] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §2, पृ. 22.

[22] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §3, पृ. 23.

42. प्रबंध-मंडल का विश्वास है कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित आंशिक बाधाओं के डिज़ाइन का विकल्प तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इससे *वीपीएचईपी* पीक जेनेरेटिंग क्षमता सुलभ नहीं करा सकेगा और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में *इससे उत्पादित ऊर्जा की मात्रा नाटकीय रूप से घट जाएगी और इसलिए भारत सरकार द्वारा इसे व्यावहारिक विकल्प नहीं समझा गया"* ।[23]

43. **आर्थिक विश्लेषण में *एक्सटर्नेलिटीज़* (दूसरे पक्षों को प्रभावित करने वाली आर्थिक गतिविधियों) का मूल्यांकन करनाः** प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में इस बात पर सहमति है कि लागत और लाभ का मूल्यांकन *(वैल्यूएशन)* एक परियोजना के मूल्यांकन का मुख्य तत्व होता है। प्रबंध-मंडल का कहना है कि भले ही बैंक की नीतियों के तहत जानकारी की ज़रूरत न हो, 2006 में बैंक द्वारा की गई परियोजना की आरंभिक समीक्षा में नदी के उपयोग-मूल्य से संबंधित पर्याप्त जानकारी की कमी की पहचान एक *गैप* के तौर पर की गई थी। प्रबंध-मंडल का कहना है कि इस *गैप* पर *समेकित ईए/ईएमपी* में ध्यान दिया गया है, जिसमें "पर्यावरण के आसानी से मापन-योग्य प्रभावों और *ईएमपी* के बजट की पहचान की गई है और इन्हें *इंटर्नलाइज़* किया गया है, जिनमें परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करने के वाले उपाय भी शामिल हैं और इसे आर्थिक विश्लेषण में लागत के तौर पर शामिल किया गया है"।[24] इसके अलावा प्रबंध-मंडल का कहना है कि सरकार द्वारा आदेशित पर्यावरणीय प्रवाह-संबंधी पूर्वापेक्षा का मौद्रिक और वित्तीय प्रभाव लागत-लाभ विश्लेषण में शामिल है।[25]

44. प्रबंध-मंडल ने नोट किया है कि *वीपीएचईपी* का आर्थिक विश्लेषण व्यापक तौर पर स्वीकार्य व्यावसायिक कार्यपद्धति पर आधारित था, जिससे प्रदर्शित हो गया कि *वीपीएचईपी* से होने वाली आर्थिक वापसी *(इकोनॉमिक रिटर्न)* सकारात्मक है और यह कि बैंक द्वारा किए गए *वीपीएचईपी* के मूल्यांकन से निष्कर्ष निकला है कि यह स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत के विकास में सकारात्मक अंशदान करेगा।[26]

45. इसके अलावा, प्रबंध-मंडल ने कहा है कि *वीपीएचईपी* के लिए आदेशित न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह की मांग[27] में और अधिक वृद्धि भारत में किसी भी पन-बिजली परियोजना की मांग की तुलना में सबसे ज़्यादा है और यह *"उस महत्त्व का मिश्रित मापन है जो भारतीय समाज नदी का अन्य दूसरे उद्देश्यों से (सिंचाई, बिजली-उत्पादन, बाढ़-नियंत्रण, आदि) इस्तेमाल करने से भिन्न नदी को इसके प्राकृतिक रूप में रखने को देता है और यही महत्त्व विश्लेषण में अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों को फंक्शनली*

[23] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §3, पृ. 24.

[24] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §29, पृ. 43.

[25] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §29, पृ. 43.

[26] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, §30 और 31, पृ. 44.

[27] जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले उल्लेख किया जा चुका है, उक्त *अपवर्ड* संशोधन *आईआईआरटी* द्वारा अप्रैल 2011 में "भागीरथी और अलकनंदा बेसिनों (उत्तराखंड) में पन-बिजली परियोजनाओं के आवर्ती प्रभाव" के बारे में किए गए अध्ययन में की गई सिफ़ारिशों पर आधारित था तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के अंतिम संस्करण के स्वीकार कर लिए जाने पर इसमें पुनः संशोधन किया जा सकता है।

कैप्चर करता (रोकता) है"। प्रबंध-मंडल ने आगे कहा है कि इस दृष्टि से पर्यावरणीय प्रवाह की "कसौटी में एक ही नदी पर परियोजनाओं की एक श्रृंखला के आवर्ती प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है"[28] और यह कि भारत में किए जाने वाले *विज्ञान पर आधारित विश्लेषणों में से एक यह विश्लेषण "पारिस्थितिकी-प्रणालियों (इको-सिस्टम्स) के महत्त्वपूर्ण कंपोनेंट्स पर आधारित था, जो समाज की वरीयताओं (पसंद) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जैव-विविधता का संरक्षण तथा साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी शामिल हैं।"* [29]

46. **परंपरागत उपयोगः** प्रबंध-मंडल ने उल्लेख किया है कि परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन *(एसआईए)* से निष्कर्ष निकला है कि परियोजना नदी के "परंपरागत उपयोग" में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसमें नदी के बहाव की दिशा में धार्मिक अनुष्ठान करना शामिल है, क्योंकि 15.65 क्यूमेक्स के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह से यह सुनिश्चित होगा कि नदी में जल हमेशा उपलब्ध है, उस समय भी जब जल का स्तर प्राकृतिक तौर पर न्यूनतम रहता है। प्रबंध-मंडल ने नोट किया है कि तीर्थयात्रियों द्वारा नदी को मांगलिक अवसरों पर विशेष स्थानों पर स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अलकनंदा पर लोगों के एकत्र होने के पांच स्थान (प्रयाग) हैं, जिनमें से सभी परियोजना के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर स्थित हैं (*ईए* के अनुमान के अनुसार परियोजना स्थल से 7 किमी. की दूरी)।[30] इसके अलावा, प्रबंध-मंडल ने कहा है कि *एसआईए* द्वारा शुरू-शुरू में दो श्मशान घाटों[31] की पहचान की गई थी, जिनमें से एक को परियोजना के ले-आउट के रि-डिज़ाइनिंग के ज़रिये सुरक्षित रखा गया है और दूसरे को अन्यत्र रखा जाएगा।[32]

47. **जल की गुणवत्ताः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि परियोजना के निर्माण या परिचालन के दौरान जल की क्वालिटी पर "कोई ख़ास प्रभाव" नहीं पड़ेगा, क्योंकि परियोजना के निर्माण से पैदा होने वाली कीचड़ या मलबा सुरक्षित रूप से नियत स्थानों पर डाला जाएगा। इसके अलावा, थोड़ी-बहुत गाद डाइवर्ज़न बांध में *स्पिल-वे* से होते हुए नदी में बिना रुके बहती रहेगी और डि-सिल्टिंग चैम्बर्स से हटाई जाने वाली गाद नियमित अंतराल पर बांध से नीचे नदी के बहाव की दिशा में छोड़ी जाएगी।[33]

48. **जैवविविधताः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि पर्यावरणीय मूल्यांकन के अनुसार *"महत्त्वपूर्ण जलीय विविधता"* पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह कि *ईएमपी* में परियोजना के *स्ट्रेच* पर जलीय और पार्थिव जैवविविधता सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय शामिल हैं। *चिअर फ़ीसेंट* के बारे में, जिसके अस्तित्व के लिए भारी जोखिम है, प्रबंध-मंडल ने कहा है कि *ईए* में परियोजना के प्रभाव क्षेत्र

[28] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.14.

[29] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.16.

[30] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.18.

[31] घाट पर सीढ़ियां होती हैं, जो जल तक पहुंचाती हैं, जहां स्नान/दैनिक नित्यकर्म तथा अंत्येष्टियों जैसे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं।

[32] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.17.

[33] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.17.

(परियोजना-प्रभावित क्षेत्रों में 500 मी. का दायरा) और "इसके प्रभाव क्षेत्र (परियोजना स्थल के गिर्द 7 किमी. का दायरा) में इसके मौजूद होने की संभावना नहीं है।[34]

49. ऊदबिलाव *(ओटर)* और महासीर मछली के बारे में प्रबंध-मंडल का कहना है कि हालांकि *डब्ल्यूआईआई* द्वारा अलकनंदा के बेसिन में किए गए अध्ययन में ऊदबिलाव की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है, इसमें *वीपीएचईपी* के प्रभाव क्षेत्र में इसकी मौजूदगी का कोई उल्लेख नहीं है। *ईए* में परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में महासीर मछली की पहचान की गई है, लेकिन परियोजना क्षेत्र से नीचे की ओर, लेकिन *ईए* इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परियोजना का महासीर मछली और इसके माइग्रेशन-पथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सबके बावजूद प्रबंध-मंडल ने कहा है कि *ईएमपी* में मछलियों के प्रबंधन की व्यवस्था है, जिसमें परियोजना को अप्रत्याशित प्रभावों से तालमेल बिठलाने की अनुमति दी गई है।[35]

50. **निर्वनीकरण *(डिफ़ॉरेस्टेशन).*** प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि परियोजना से किसी भी तरह का निर्वनीकरण नहीं होगा। इसके विपरीत, *टीएचडीसी* परियोजना के लिए अर्जित प्रति हेक्टेयर वन भूमि, चरागाहों तथा वन-पंचायतों (सामूहिक वनों) की ज़मीन पर 1.2:1 के अनुपात में पेड़ लगाने के लिए वित्त सुलभ कराएगा।[36]

51. **मिथैन का इमिशनः** प्रबंध-मंडल ने उल्लेख किया है कि मिथैन के इमिशन छिछले (शैलो) जलाशयों की विशेषता हैं, जिनमें काफी समय तक जल रखा जाता है तथा आम तौर पर ट्रॉपिकल और सब-ट्रॉपिकल स्थानों पर जिनका काफी सारा *बॉयोमास* पानी में डूबा रहता है। प्रबंध-मंडल ने कहा है कि परियोजना में इस तरह के लक्षण *(फ़ीचर्स)* मौजूद नहीं हैं; यहां छोटे तालाब हैं, जिनमें जल को लगभग 1.75 घंटे तक स्टोर किया जा सकेगा, इसके बाद इसे फ़्लश किया जा सकेगा और दैनिक आधार पर इसकी जगह ताज़ा जल स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्र में जलवायु *मॉडरेट* और जल ठंडा है।

52. **आजीविका पर प्रभावः** प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में बताया गया है कि परियोजना के *एसआईए* में परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण शामिल था, जिसमें इस बात का पता लगाया गया था कि परियोजना के क्षेत्र में रहने वालों की नदी पर आधारित आर्थिक गतिविधियों पर कितनी निर्भरता है, जैसे बालू निकालना और मछलियां पकड़ना। प्रबंध-मंडल के अनुसार *"किसी भी परिवार ने अपनी आजीविका के लिए नदी पर निर्भर होने का उल्लेख नहीं किया",* हालांकि परियोजना के *स्ट्रेच* पर मनोरंजन के तौर पर मछलियां पकड़ना देखने में आया है और इसे प्रभाव

[34] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.17.

[35] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.33.

[36] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.18.

नहीं कहा जा सकता। प्रबंध-मंडल ने कहा है कि इसके विपरीत परियोजना से इसके क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को अनगिनत लाभ पहुंचेंगे, जो राष्ट्रीय वैधानिक पूर्वापेक्षाओं से अधिक हैं।[37]

53. **स्त्री-पुरुषों पर पड़ने वाले प्रभावः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि *टीएचडीसी* ने महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर समुचित ध्यान दिया है, जिसमें उनकी सुरक्षा, उनका आना-जाना और आजीविका के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं। प्रबंध-मंडल ने उल्लेख किया है कि *एसआईए* की प्रक्रिया और बाद में विचारविमर्शों के ज़रिये महिलाओं की चिंताओं को दर्ज और परियोजना के डिज़ाइन में प्रतिबिम्बित किया गया है, जिनमें इन्हें दूर करने के उपाय भी शामिल हैं। प्रबंध-मंडल के अनुसार जलाने के लिए लकड़ी और चारा जमा करने के लिए वन पंचायत (सामुदायिक वन) भूमि तक पहुंच न रह जाना और निर्माण कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों के आने से पैदा होने वाली सुरक्षा-संबंधी कठिनाइयां चिंता का मुख्य विषय हैं।

54. प्रबंध-मंडल ने आगे कहा है कि खाद्य सामग्री और चारे की हानि के लिए *टीएचडीसी* द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति के अलावा सिविल निर्माण का ठेकेदार भी गांवों में मजदूरों के शिविरों के आस-पास रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए *"अनुबंध" के तहत* ज़िम्मेदार होगा, जिनमें शिविरों के चारों ओर तार लगाना, जलावन का इस्तेमाल न करना, आदि शामिल है, ताकि मजदूर सामुदायिक वन भूमि तक न पहुंच पाएं। इसके अलावा, प्रबंध-मंडल के अनुसार परियोजना का ग़ैर-सरकारी संगठन श्री भुवनेश्वरी आश्रम परियोजना से प्रभावित गांवों में महिलाओं को आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों में प्रशिक्षण दे रहा है।[38]

55. **स्वास्थ्य-संबंधी प्रभावः** प्रबंध-मंडल ने बताया है कि जलाशय से बीमारियां पैदा होने की आशंका बेबुनियाद है, क्योंकि इस छोटे जलाशय में पांच घंटे के दैनिक औसत जल-प्रवाह को स्टोर करने के लिए कुल मिलाकर 1.75 घंटे तक ही स्टोर किया जायेगा, और उसके बाद उसे फ़्लश करके ताज़े जल से बदल दिया जायेगा ।[39]

56. **ट्रांसपैरेंसी (खुलापन, पारदर्शिता) और सलाह-मशविरेः** प्रबंध-मंडल का कहना है कि परियोजना को व्यापक स्थानीय और क्षेत्रीय समर्थन मिल रहा है।[40] प्रबंध-मंडल के अनुसार 2007 से ही संबंधित पक्षों *(स्टेकहोल्डर्स)* के साथ नियमित और संतुलित सलाह-मशविरा होता रहा है और संबंधित पक्षों के अनेक सुझावों को परियोजना के डिजाइन में शामिल किया गया है। प्रबंध-मंडल ने उल्लेख किया है कि पहली सार्वजनिक सुनवाई 2006 में हुई थी तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन *(आर.एंड आर.)* नीति, *आरएपी* और *ईएमपी* का प्रसार करने के लिए परियोजना से जुड़े पक्षों के साथ अंतिम सलाह-मशविरा

[37] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.18.
[38] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.19.
[39] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.19.
[40] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.16.

सितम्बर 2009 में हुआ था। इसके अलावा, प्रबंध-मंडल के अनुसार परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ग्राम-स्तरीय सलाह-मशविरे अभी तक किए जा रहे हैं, जो परियोजना के निर्माण और परिचालन के दौरान भी जारी रहेंगे।

57. प्रबंध-मंडल ने नोट किया है कि एक बहु-पक्षीय परियोजना-स्तरीय शिकायत-निवारण समिति *(जीआरसी)* स्थापित की गई है। इसका गठन प्रभावित गांवों में से प्रत्येक के परियोजना-प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों से किया गया है। प्रबंध-मंडल के अनुसार अनुरोधकर्ताओं द्वारा परियोजना-स्तर पर उठाए गए मुद्दों को अभी तक *जीआरसी* के सामने नहीं रखा गया है।

58. **निष्कर्षः** प्रबंध-मंडल ने बताया है कि *वीपीएचईपी* अच्छी तरह तैयार की गई परियोजना है, जिसे परियोजना क्षेत्र में व्यापक समर्थन प्राप्त है। प्रबंध-मंडल अनुरोध पत्र में लगाए गए परिपालना *(कम्प्लाएंस)* न करने और नुक़सान से संबंधित दावों से सहमत नहीं है और इसे विश्वास है कि परियोजना से अनुरोधकर्ताओं के अधिकार या हित सीधे या बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं। प्रबंध-मंडल ने आगे कहा है कि बैंक ने अपनी परिचालन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का परिपालन करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और यह कि अनुरोध-पत्र में उठाए गए परियोजना-संबंधी सभी प्रभावों पर इसकी तैयारी के दौरान ध्यान दिया गया है और इन्हें दूर करने वाले समुचित कदमों के ज़रिये उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ङ) अनुरोध तथा प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया के बारे में पैनल की समीक्षा.

60. पैनल ने अनुरोध पत्र और प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है। पैनल के अध्यक्ष एल्फ़ येर्वे ने पैनल की सदस्य ज़ैनब बशीर एल्बक्री, कार्यकारी सचिव पीटर लालास और परिचालन अधिकारी मिश्का ज़मां के साथ 5 से 11 नवम्बर, 2012 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पैनल के सदस्यों ने परियोजना-क्षेत्र में अनुरोधकर्ताओं और *टीएचडीसी* से, विश्व बैंक के भारत-स्थित कार्यालय *(कंट्री ऑफ़िस)* के स्टॉफ़ से, वित्त, बिजली तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय अधिकारियों तथा चतुर्वेदी आयोग (अंतर-मंत्रालय ग्रुप - *इंटर-मिनिस्टेरियल ग्रुप)* के अध्यक्ष से भेंट की। इसके अलावा, पैनल ने परियोजना से संबंधित मुद्दों को अच्छी तरह समझने के लिए संबंधित पक्षों के कई सदस्यों *(स्टेकहोल्डर्स)* से भेंट की, जिनमें दिल्ली और उत्तराखंड-स्थित नागरिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य भी शामिल थे।

61. पैनल द्वारा की गई समीक्षा अनुरोध और प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया तथा अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्यों पर और परियोजना-स्थल के दौरे के दौरान एकत्र की गई जानकारी तथा अनुरोधकर्ताओं और बैंक के प्रबंध-मंडल के साथ बैठकों में प्रस्तुत जानकारी पर आधारित है।

62. पैनल ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की अपने विचारों के साथ-साथ जानकारी में पैनल के साथ भागीदारी और इसका आदान-प्रदान करने के लिए सराहना करता है। पैनल कंट्री डाइरेक्टर और विश्व बैंक के भारत-स्थित कंट्री ऑफ़िस को भी धन्यवाद देना चाहता है, जिन्होंने पैनल के सदस्यों से मुलाक़ात की,

संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा संबंधित जानकारी सुलभ कराने के साथ-साथ अन्य *लॉजिस्टिक* व्यवस्था करने में मदद की।

63. इस समीक्षा में 1999 में निर्धारित कसौटी के अनुसार अनुरोध की तकनीकी उपयुक्तता *(इलिजिबिलिटी),* पैनल की सिफ़ारिशों के साथ प्रासंगिक अन्य दूसरे कारकों के स्पष्टीकरण और ऑब्ज़र्वेशन शामिल हैं।

(क) तकनीकी उपयुक्तता का निर्धारण

64. पैनल इस बात से संतुष्ट है कि अनुरोध 1999 के स्पष्टीकरणों में निर्धारित तकनीकी उपयुक्तता-संबंधी सभी छः कसौटियों के अनुरूप है, जो 1999 के स्पष्टीकरणों के पैरा 9 में दी गई हैं।

65. पैनल ने नोट किया है कि वह तकनीकी उपयुक्तता, जो सत्यापन-योग्य तथ्यों का सेट होता है और काफी हद तक अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र की सामग्री पर केन्द्रित रहता है, निर्धारित करते समय अनुरोध पत्र में किए गए दावों के सार के सम्बन्ध में अपने खुद के मूल्यांकन को शामिल नहीं करता। इस व्याख्या का मतलब है कि तकनीकी उपयुक्तता अपने आप में छानबीन की सिफ़ारिश करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी।

66. कसौटी (क) - *"प्रभावित पक्ष में कोई भी दो या इससे अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जिनके हित और सरोकार एक-जैसे हैं तथा जो बॉरोअर के क्षेत्र में हैं।"* पैनल ने इस बात की पुष्टि की है कि अधिकांश अनुरोधकर्ता चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के किनारे उस प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, जिसकी परियोजना के लिए व्याख्या की गई है तथा कुछ अन्य अलकनंदा नदी के किनारे बहाव की दिशा में रहते हैं। परियोजना के डिज़ाइन और इस पर क्रियान्वयन के बारे में अनुरोधकर्ताओं की चिंताएं समान हैं और इनका मानना है कि ये पीड़ित हैं और बैंक द्वारा परियोजना में इसके डिज़ाइन और क्रियान्वयन में अपनी नीतियों और कार्यपद्धतियों का पालन न करने की वजह से तकलीफ़ उठाएंगे। पैराग्राफ़ 9(a) में दी गई शर्त पूरी होती है।

67. कसौटी (ख) - *"अनुरोध पत्र में सार रूप में ज़ोर देकर नहीं कहा गया है कि बैंक द्वारा अपनी परिचालन-संबंधी नीतियों और कार्यपद्धतियों का उल्लंघन करने से अनुरोधकर्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है।"* पैनल ने इस बात की पुष्टि की है कि अनुरोध पत्र में अनुरोधकर्ताओं पर वास्तविक और संभावित बुरे भौतिक प्रभावों का मुद्दा उठाया गया है और इसमें दावा किया गया है कि यह हानियां बैंक द्वारा किए गए अपनी नीतियों और कार्यपद्धतियों के गंभीर उल्लंघन से जुड़ी है। अनुरोधकर्ताओं ने निर्माण कार्य से आज तक होने वाली वास्तविक और संभावित भौतिक हानियों के प्रतिकूल प्रभावों के साथ-साथ नदी के बहाव की दिशा में रहने वाली आबादी और जलीय *(एक्वेटिक)* जैवविविधता पर पड़ने वाले संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिणामों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन चिंताओं का संबंध अलकनंदा नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करने से पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ अलकनंदा नदी पर कई पन-बिजली परियोजनाओं के व्यापकतर और आवर्ती प्रभावों से है। पैनल ने इस बात की पुष्टि की है कि पैराग्राफ़ 9(a) में दी गई शर्त पूरी होती है।

68. कसौटी (ग) - *"अनुरोध में दावे के साथ नहीं कहा गया है कि इस विषय को प्रबंध-मंडल के नोटिस में लाया जा चुका है और यह कि अनुरोधकर्ताओं के विचार में प्रबंध-मंडल पर्याप्त तौर पर यह प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असफल रहा है कि इसने बैंक की नीतियों और कार्यपद्धतियों का पालन किया है या यह इनका पालन करने की दिशा में कदम उठा रहा है।"* अनुरोधकर्ताओं ने कहा है कि वे कई अवसरों पर पत्राचार और बैठकों के ज़रिये विश्व बैंक के अधिकारियों को अपनी चिंताओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उन्हें जो रेस्पांस मिला है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। पैनल ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रबंध-मंडल अनुरोधकर्ताओं की शिकायतों से कई महीनों से तथा अनुरोध पत्र के कुछ एक पहलुओं से कई वर्षों से परिचित है। पैनल संतुष्ट है कि इस कसौटी को पूरा किया गया है।

69. कसौटी (घ) - *"इस विषय का प्रोक्योरमेंट से संबंध नहीं है।"* पैनल इस बात से संतुष्ट है कि निरीक्षण-संबंधी अनुरोध में हानि तथा अपालना से संबंधित दावों में परियोजना के तहत प्रोक्योरमेंट का मुद्दा नहीं उठाया गया है और इसलिए इस कसौटी का भी पालन किया गया है।

70. कसौटी (ङ) - *"संबंधित ऋण न तो क्लोज़ हुआ है और न ही इसका बड़ी मात्रा में संवितरण हुआ है।"* निरीक्षण के लिए अनुरोध करते समय तक ऋण के लगभग 0.25% हिस्से का ही संवितरण हुआ था।

71. कसौटी (च) - *"पैनल ने इस विषय पर पहले से कोई सिफ़ारिश नहीं की है और अगर इसने सिफ़ारिश की भी है, तो अनुरोध में इस बारे में कोई दावा नहीं किया गया है कि ऐसा कोई नया साक्ष्य या परिस्थितियां मौजूद हैं, जो अनुरोध किए जाने से पहले मौजूद थीं।"* पैनल ने इस बात की पुष्टि की है कि इसने अनुरोध की विषय-वस्तु पर पहले कोई सिफ़ारिश नहीं की है।

(ख) पैनल की सिफ़ारिश का समर्थन करने वाले अन्य कारकों पर ऑब्ज़र्वेशन

72. पैनल ने स्वीकार किया है कि बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और सभी परिवारों की बिजली तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य पाने के मार्ग में एक बाधा है। पैनल ने नोट किया है कि देश में पन-बिजली की क्षमता के विकास को मिश्रित *(मिक्स)* बिजली के उत्पादन का अंग होना पड़ेगा, जिसकी मौजूदा और अनुमानित मांग को पूरा करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार अनुरोधकर्ता पन-बिजली में निवेश के लिए इन बुनियादी मुद्दों पर तो सवाल नहीं उठाते, लेकिन इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या लागत लाभों से अधिक है, क्या परियोजना के परिणामस्वरूप होने वाली हानि को टालने या दूर करने के लिए आवश्यक पर्याप्त सामाजिक और पर्यावरणीय सेफ़गार्ड मौजूद हैं, और क्या स्थानीय आबादी को इस विकास से लाभ होगा। *वीपीएचईपी* को ऐसे संदर्भ में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें भारत में पन-बिजली की व्यावहारिकता के बारे में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय बहस चल रही है। पैनल ने नोट किया है कि विविधतापूर्ण विचार उक्त बहस की विशेषता हैं।

73. नीचे दिए गए खंड (i) और खंड (ii) में पैनल ने हानि और परिपालन-संबंधी तथाकथित प्रमुख मुद्दों के संबंध में ऑब्ज़र्वेशन दर्ज किए हैं, जिनमें नोट किया गया है कि पैनल जांच पड़ताल के ज़रिये बैंक द्वारा अपनी नीतियों और कार्यप्रक्रियाओं के परिपालन और इसकी वजह से पड़ने वाले प्रतिकूल भौतिक प्रभाव के बारे में केवल निर्णायक मूल्यांकन ही कर सकता है।

(i) हानि के आरोप

74. पैनल का विश्वास है कि अनुरोध पत्र में किए गए हानि-संबंधी दावे दो प्रकार (सेट) के हैं। पहले सेट के दावों का संबंध परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले वास्तविक और संभावित दुष्प्रभावों से और दूसरे सेट के दावों का संबंध परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के बाहर रहने वाले लोगों के हितों और चिंताओं से है, जो परियोजना से संबंधित हैं तथा व्यापकतर और आवर्ती प्रकृति के हैं। *ईए* में परियोजना के प्रभाव क्षेत्र की व्याख्या परियोजना से संबंधित किसी भी अवसंरचना से 7 किमी. की दूरी के तौर पर की गई है, जबकि *इमिडिएट एरिया ऑफ़ इन्फ़्लुएंस* का उल्लेख भी है, जिसकी परिभाषा परियोजना स्थलों से 500 मीटर की दूरी के तौर पर की गई है।

75. **स्थानीय प्रभावः** पहले सेट के दावों के सन्दर्भ में, अनुरोधकर्ताओं तथा परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले अन्य ग्रामीणों के साथ बैठकों में पुष्टि की गई है गयी कि निम्न मुद्दे अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान पड़ते हैं -

- **हाट गांव की हतसारी टोक बस्ती में परिवारों के साथ समझौते की कमीः** इसका संबंध (क) परियोजना की गतिविधियों से पड़ने वाले प्रभाव और (ख) भावी नियोजित निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप *रिलोकेशन* या अन्य विकल्प से है। साइट के अपने दौरे के दौरान टीम के सदस्यों ने हतसारी समुदाय देखा और गांववासियों से बातचीत की। बैठक के दौरान पैनल की टीम को बताया गया कि गांव वाले परियोजना की वजह से प्रभावित या हाथ से निकलने वाली ज़मीन के लिए मुआवज़े के बारे में परियोजना अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी ऑफ़र को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने आरोप लगाया कि परियोजना अधिकारियों द्वारा दिए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापना-संबंधी पैकेज से उनकी आजाविका की बहाली सुनिश्चित नहीं होगी, क्योंकि मुआवज़ा बुनियादी तौर पर रिहायशी ज़मीन और मकान पर केन्द्रित था।[41] हतसारी बस्ती के निवासियों ने कहा है कि हाट गांव के अनेक निवासियों से भिन्न उनके पास नदी के दूसरे किनारे पर खेती की ज़मीन नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने भौतिक प्रभावों के बारे में शिकायत की और इन्हें पैनल की टीम को दिखलाया, जिनके बारे में उनका आरोप है कि ये *टीएचडीसी* द्वारा कुछ वर्ष पहले की गई *टेस्ट ब्लास्टिंग* (परीक्षण विस्फोट) का नतीजा है। इनमें कुछ मकानों में दरारें पड़ जाना, उन जल-स्रोतों *(स्प्रिंग्स)* का सूख जाना, जिन पर आबादी अपनी फ़सलों की सिंचाई करने के लिए निर्भर करती है, तथा उनकी

[41] *टीएचडीसी* के अनुसार हाल ही में दिए गए ऑफ़र में यहां उल्लिखित तीन विकल्पों में से एक शामिल हैः (क) वैसा ही पैकेज, जैसा कि हाट गांव के निवासियों को दिया जा रहा है, जिनके साथ *रिकोलेशन* (पुनर्स्थापन) समझौता भी हो चुका है; (ख) परियोजना द्वारा निर्माण की अवधि के दौरान उनकी ज़मीन को पट्टेदारी पर लेना; या (ग) परियोजना द्वारा निर्माण के दौरान वैकल्पिक मकान सुलभ कराना, जबकि लोग ज़मीन अपने पास रखेंगे।

ज़मीन पर बने एक पुराने मंदिर के लिए ख़तरा भी शामिल था। उन्होंने नदी के बहाव तथा नदी के तट पर ठीक उनके मकानों के नीचे किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चिंता वयक्त की। पैनल ने नोट किया कि प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में हतसारी के निवासियों की चिंताओं पर ध्यान देने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। लेकिन पैनल को ऐसा लगता है कि समुदाय और परियोजना अधिकारियों के बीच विरोधपूर्ण-संबंधों का विकास हो चुका है। गांववासियों ने आरोप लगाया है कि मुआवज़े का ऑफ़र स्वीकार करने के लिए उन पर भारी दबाव डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो उन्हें प्रताड़ित करने जैसी बात है।

- **सड़क-निर्माण, ब्लास्टिंग, टनल की बोरिंग और ट्रांसमिशन लाइनों की वजह से ज़मीन के धंसने के बढ़ते हुए जोखिम के बारे में चिंताः** अनुरोधकर्ताओं को डर है कि परियोजना की ओर से जल को लाने-ले जाने के लिए सुरंग बनाने के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग और पहाड़ की तरफ संपर्क सड़क के निर्माण से पहले से ही भुरभुरे पहाड़ों के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा, जिससे ज़मीन धंसने लगेगी और भूकम्प के भारी जोखिम वाले इस इलाके में भूकम्प भी आ सकता है। पैनल के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान गांववासियों ने ज़मीन के धंसने की संभावनाओं पर चिंता जतलाई, जो परियोजना द्वारा वित्तपोषित निर्माण गतिविधियों का ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का नतीजा भी हो सकता है, जिनमें निर्माण उपकरणों को लाने-ले जाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण और रास्ते में आने वाले पेड़ों की कटाई भी शामिल है। *वीपीएचईपी* में नदी पर ऊपर की ओर (अपस्ट्रीम) बनाई जा रही दो पन-बिजली परियोजनाओं - विष्णुप्रयाग और तपोवन-विष्णुप्रयाग परियोजनाओं[42] - के अनुभवों का उल्लेख भी किया गया। पैनल टीम को सूचित किया गया कि विष्णुप्रयाग परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद एक गांव ज़मीन धंसने से दब गया और यह कि पिछले 5-7 वर्षों में ज़मीन धंसने की घटनाओं में नाटकीय वृद्धि हुई है। गांव वालों ने इसे बारिश के बदलते हुए पैटर्न के साथ जोड़ा, जिसके दौरान चंद एक दिन, लेकिन भारी बारिश होती है (जिसे बादल का फटना या *क्लाउड बर्स्ट* कहते हैं)। पैनल ने अलकनंदा नदी के दोनों किनारों पर ज़मीन धंसने की अनेक घटनाओं का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य देखा। अनुरोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने की समुचित व्यवस्था नहीं है और वे सवाल करते हैं कि क्या परियोजना से संबंधित जोखिमों का समुचित ढंग से मूल्यांकन कर लिया गया है।

- **यह चिंता कि परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य से झरनों और नदी-नालों द्वारा की जाने वाली जल की आपूर्ति प्रभावित होगी।** अनुरोधकर्ताओं का मानना है कि टनल के अलाइनमेंट के लिए की जाने वाली टेस्ट ब्लास्टिंग की वजह से कई जल-स्रोत सूख गए हैं। अन्य ग्रामनिवासियों ने, जिनसे पैनल की टीम ने मुलाकात की, बताया कि जैसे-जैसे परियोजना का काम आगे बढ़ेगा, ऐसी घटनाएं अक्सर घटेंगी, जिनके परिणामस्वरूप किसान अपनी फ़सलों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे और विभिन्न मौसमों में उनकी फ़सलों को नुक़सान पहुंचने और उनके ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना रहेगी।

[42] विष्णुप्रयाग पन-बिजली परियोजना (400 मेगावाट) और तपोवन पन-बिजली परियोजना (520 मेगावाट)।

- **यह चिंता कि निर्माण की वजह से पैदा होने वाली *वाइब्रेशंस* (दोलन) और/अथवा ज़मीन में अस्थिरता आ जाने की वजह से मकानों में दरारें पड़ सकती हैं।** अनुरोधकर्ताओं तथा मिलने वाले अन्य गांववासियों ने मकानों को नुक़सान पहुंचने की आशंका व्यक्त की और मौजूदा परियोजनाओं के अनुभवों का हवाला दिया, जहां डेवलपर आश्वासन देने के बावजूद कारगर बीमा योजना लागू नहीं कर पाए या उन्होंने नुक़सान के संदर्भ में ज़िम्मेदारी स्वीकार करने से ही मना कर दिया।

- **यह चिंता कि खेती पर निर्भर परिवारों के लिए जलाने की लकड़ी (जलावन) और चराई/चारे के स्रोत स्थाई तौर पर लुप्त हो जाएंगे।** अनुरोधकर्ताओं और गांववासियों ने, जिनसे पैनल के सदस्यों ने मुलाक़ात की, क्षेत्र में धूल-मिट्टी तथा यहां घूमने वाले मजदूरों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण के प्रभावों का हवाला दिया। उन्होंने कृषि भूमि पर धूल के प्रदूषण के गंभीर दुष्परिणामों की ओर संकेत किया और दावे के साथ कहा कि दूध का उत्पादन घट रहा है, पशुओं में गर्भपात बढ़ गया है और पेड़ों पर लगने वाले फल कम हो रहे हैं। अनुरोधकर्ताओं का मानना है कि परियोजना के निर्माण कार्यों से हटाई जाने वाली धूल और कीचड़ का उनके चारे के संसाधनों और सामुदायिक (वन पंचायत) वन भूमियों पर प्रभाव पड़ेगा। पैनल को निर्माण का चरण शुरू होते ही इस इलाके में बस जाने वाली विशाल मजदूर बस्तियों से संबंधित चिंताओं और इनकी वजह से पड़ने वाले प्रभावों से भी अवगत कराया गया। पैनल को बताया गया कि इस क्षेत्र में ऐसी अन्य परियोजनाओं के अनुभवों से पता चलता है कि मजदूरों की ईंधन-संबंधी तथा अन्य आवश्यकताएं प्रायः परियोजना के अधिकारियों द्वारा किये गए नियोजन के मुताबिक पूरी नहीं हो पातीं। इसका स्थानीय आबादी और पर्यावरण पर भारी बोझ पड़ता है। विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया कि हालांकि परियोजना के अधिकारियों ने मजदूरों को उनकी ईंधन-संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैस सिलिंडर सुलभ कराने का आश्वासन दिया है, अनुरोधकर्ताओं ने दलील दी है कि कोटा-संबंधी बंदिशों की वजह से इनका मिल पाना तो स्थानीय निवासियों तक के लिए मुश्किल है और संभव है कि मजदूर पेड़ काटने लगेंगे।

- **यह चिंता कि बांध से नीचे की ओर अलकनंदा नदी का बहाव वर्ष में कई महीने काफी धीमा रहेगा।** अनुरोधकर्ताओं का मानना है कि इससे नदी के उस धार्मिक और सांस्कृतिक उपयोग में हस्तक्षेप होगा, जो नदी के किनारे रहने वाले समुदायों को सुलभ है। इन उपयोगों में अंतिम संस्कार करना, धार्मिक अनुष्ठानों से पहले स्नान करना और धार्मिक समारोहों में नदी के जल का इस्तेमाल करना आदि शामिल है। लोगों को यह डर भी है कि बांध की वजह से बहाव के धीमा पड़ जाने से नदी में रेत जमा नहीं हो पाएगा, जिसका लोग मकान बनाने में इस्तेमाल कर ते हैं।

- **अपर्याप्त सलाह-मशविरा और जानकारीः** यह चिंता परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों *(पीएपी)* के अधिकारों और उनकी हक़दारी के साथ-साथ उनकी पहचान तथा उनके पंजीकरण से संबंधित शिकायतों को लेकर व्यक्त की गई थी। हतसारी गांव के अपवाद को छोड़कर पैनल की जानकारी में लाए गए ये मुद्दे बुनियादी रूप से दुष्प्रभावों को लेकर अधिकारों और हक़दारियों से संबंधित हैं, जिनका भूमि के औपचारिक अधिग्रहण से सीधा संबंध नहीं है। पैनल ने नोट किया है कि परियोजना के

दस्तावेज़ों में परिभाषित परियोजना-प्रभावित व्यक्ति परिवार का वह व्यक्ति है जो ऐसी ज़मीन का स्वामी है, जिसे भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत परियोजना के लिए अर्जित किया जाना है।[43]

76. दावों के इस पहले सेट के बारे में पैनल ने नोट किया है कि प्रबंध-मंडल का यह विचार है कि "परियोजना से संबंधित प्रभावों को, जिनका अनुरोध में उल्लेख किया गया है, परियोजना की तैयारी के दौरान ध्यान में रखा गया है और इन्हें दूर करने वाले समुचित उपायों के ज़रिये इन पर विचार किया जा रहा है।"[44]

प्रबंध-मंडल के अनुसार वास्तविक या संभावित हानि से जुड़े इन मुद्दों को परियोजना से नहीं जोड़ा जा सकता (या कुछ मुद्दों के बारे में बहुत कम वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है), या रोकथाम करने के लिए समुचित उपायों की व्यवस्था है। इसलिए, प्रबंध-मंडल का विचार है कि अनुरोधकर्ताओं के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं है *कि बैंक के अपनी नीतियों और कार्यप्रणलियों को क्रियान्वित करने में असफल रहने से उन पर असर पड़ा है या सीधा अथवा बुरा असर पड़ेगा।"* [45]

77. **व्यापकतर प्रभावः** दावों के दूसरे सेट का संबंध (*ईए* में परिभाषित) परियोजना के प्रभाव क्षेत्र से परे रहने वालों के हितों और चिंताओं से भी है। ये व्यापकतर प्रभावों से, और हो सकता है कि बड़ी हद तक गंगा नदी के बेसिन के ऊपरी इलाकों में स्थित पन-बिजलीघरों के आवर्ती प्रभावों से जुड़े हैं, जो परियोजना की वजह से बढ़ सकते हैं। बैठकों के दौरान अनुरोधकर्ताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों ने नीचे दिए गए मुद्दे उठाए हैं -

- **गंगा नदी का आध्यात्मिक महत्व और इसके जल के विशेष गुणः** अनुरोधकर्ताओं के अनुसार बांध की वजह से नदी के बहाव में बाधा पैदा होने से गंगा जल के विशेष गुणों तथा हिन्दू धर्मग्रंथों में वर्णित इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रभाव पड़ेगा। उनके विचार में जल की निर्मलता और वे उपचारी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी, जो अविरल बहती अलकनंदा नदी के वर्तमान जल में मौजूद हैं।

- **जैवविविधताः** अनुरोधकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अलकनंदा नदी के ऊपरी क्षेत्र में विष्णुप्रयाग परियोजना तथा तपोवन-विष्णुगढ़ परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य और अलकनंदा नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर बहाव की दिशा में अन्य निर्माणाधीन और प्रस्तावित पन-बिजली परियोजनाओं के कार्य से मौसमी *(सीज़नल)* बहाव अस्त-व्यस्त हो जाएगा और इससे नदी में उपलब्ध जल की मात्रा उस स्तर तक प्रभावित होगी, जो पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति से

[43] पुनर्वास कार्य योजना के अनुसार इसमें 19 गांवों में 1,223 घर (1,477 परिवार और 5,159 लोग) शामिल हैं।

[44] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.vii.

[45] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.vii.

नदी की जैवविविधता तथा इसका पर्यावास गंभीर रूप से प्रभावित होगा और मछलियों की माइग्रेटरी प्रजातियों पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- **पर्यावरणीय परिवर्तनः** अनुरोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सड़क निर्माण, धूल-मिट्टी, यातायात वाहनों, जलाशयों और सुरंग की खुदाई करने के साथ-साथ तापमान तथा वृष्टिपात के पैटर्न में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों की वजह से प्राकृतिक पर्यावरण और नदियों की इन संकरी *वी-शेप* घाटियों में लोगों के परंपरागत अनुकूलन *(एडेप्टेशन)* के लिए सूक्ष्म जलवायु में होने वाले परिवर्तनों से ख़तरा पैदा हो गया है। इसके अलावा, परियोजना उच्च-जोखिम वाले भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित है। दावा किया जाता है कि परियोजना पर्यावरण में अपरिवर्त्य परिवर्तन और पहले से अधिक संख्या में भू-स्खलनों में अंशदान करेगी।

- **ग़रीबी में कमीः** अनुरोधकर्ताओं ने तर्क रखा है कि इस क्षेत्र में ग़रीबों और कमज़ोर लोगों के नुक़सानों का शिकार होने की और पन-बिजली के विकास से किसी तरह का लाभ न मिल पाने की संभावना है, क्योंकि उन्हें बिजली या रोज़गार नहीं मिलेगा और मिलने वाला लाभ भी अल्पकालिक होगा। हालांकि अध्ययन से पता चलता है कि अपने निर्वाह के लिए चंद एक घर ही पूरी तरह कृषि तथा कृषि उत्पादों पर निर्भर करते हैं, सीढ़ीदार कृषि भूमि तथा गांव के वनों के उत्पादों तक पहुंच लगभग सभी परिवारों की अर्थव्यवस्था का आवश्यक तत्व हैं। गांववासियों ने दलील दी कि पन-बिजली परियोजनाओं, सड़कों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण की वजह से कृषि भूमि और वन-संसाधनों की हानि का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही, उनका इन आश्वासनों पर भी कोई विश्वास न था कि परियोजना अधिकारी दीर्घकालिक रोज़गार सुलभ कराएंगे। पुनः, उन्होंने क्षेत्र की अन्य पन-बिजली परियोजनाओं के अनुभवों का हवाला दिया।

78. दावों के इस दूसरे सेट के बारे में प्रबंध-मंडल का विचार है कि ये मुद्दे कुल मिलाकर भारत में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पन-बिजली तथा अन्य दूसरी आर्थिक गतिविधियों के विकास के संबंध में होने वाली व्यापकतर बहस से संबंधित हैं। यह ऐसी बहस है, जिसमें परियोजना और बैंक की नीतियों तथा कार्यपद्धतियों के परिपालन से भी अधिक कुछ शामिल है।[46]

79. **पैनल की समीक्षाः** पैनल ने नोट किया है कि अनुरोधकर्ता तथा प्रबंध-मंडल नुक़सान और परियोजना तथा बैंक की नीतियों तथा कार्यपद्धतियों को किस तरह देखते है - इन दोनों मुद्दों पर उनके विचार परस्पर विरोधी हैं। ऊपर उल्लिखित पहले सेट के दावों के संबंध में पैनल ने नोट किया है कि परियोजना के क्षेत्र में ऐसे अनेक निवासी हैं, जो इन स्थानीय भावी प्रभावों

[46] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.11.

के बारे में अधिक चिंतित दिखलाई नहीं पड़ते या जिनका विचार है कि परियोजना तथा परियोजना अधिकारियों द्वारा इन प्रभावों को दूर करने के लिए किए जा रहे उपाय और इनके लिए दिया जाने वाला मुआवज़ा काफी रहेगा। पैनल के सदस्य ऐसे कई निवासियों से मिले, जिन्होंने परियोजना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और परियोजना अधिकारियों ने राजनीतिक नेताओं तथा समुदायों के प्रतिनिधियों के समर्थन से संबंधित अन्य साक्ष्य सुलभ कराए। लेकिन पैनल इस बात को लेकर चिंतित है कि हो सकता है कि परियोजना की आलोचना करने वालों को, जिनमें कुछ अनुरोधकर्ता भी शामिल हैं, डराया या आतंकित किया गया हो।

80. परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आबादी के ऐसे वर्ग भी मौजूद हैं, जिन्हें प्रस्तावित *मिटिगेशन फ़्रेमवर्क* में विश्वास नहीं है और उन्हें परियोजना अधिकारियों की योग्यता और क्षमता पर भी भरोसा नहीं है। इससे किए जाने वाले सलाह-मशविरों की क्वालिटी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का संकेत मिलता है। पैनल ने आयोजित की गईं अनेक बड़ी बैठकों के बावजूद उक्त विचारविमर्शों की पर्याप्तता के बारे में विभिन्न पक्षों के परस्पर विरोधी विचार सुने। कुछ लोगों की धारणा है कि *आरएपी* को क्रियान्वित करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा नियुक्त ग़ैर-सरकारी संगठन प्रभावित परिवारों और परियोजना के बीच तटस्थ मध्यस्थों की तरह काम नहीं करते। पैनल को शिकायतों का निवारण करने वाली कार्यपद्धति की स्थापना के बारे में जानकारी मिल चुकी है और इसने नोट किया है कि अभी तक इसे संदर्भित शिकायतों की संख्या बहुत कम रही है और किसी भी मामले को उन दावों के लिए संदर्भित नहीं किया गया है, जिन पर ऊपर विचार-विमर्श किया गया है। इससे परिलक्षित हो सकता है कि परियोजना अभी तक क्रियान्वयन के आरंभिक चरण में है।

81. संक्षेप में, जहां एक ओर परियोजना *ईआईए/ईएमपी* तथा पुनर्वास कार्य-योजना (आरएपी), जैसा कि प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में नोट किया गया है, ऊपर उल्लिखित मुद्दों से परिचित हैं, पैनल ने कुछ एक प्रस्तावित उपायों की व्यावहारिकता और प्रभावकारिता से संबंधित चिंताओं को सुना, उदाहरण के लिए ईंधन और चारा, मकान, जल-स्रोत और भू-स्खलन की घटनाओं में पहले से बढ़ोतरी। पैनल ने नोट किया है कि ऊपर व्यक्त चिंताओं का संबंध बुनियादी तौर पर उन बुरे प्रभावों से है, जो प्रत्यक्ष रूप से भू-अर्जन से नहीं जुड़े हैं। कुल मिलाकर प्रभावों को दूर करने से संबंधित विभिन्न उपायों, अप्रत्याशित प्रभावों और परियोजना अधिकारियों द्वारा विश्वास पैदा करने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में विचारों में भिन्नता है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्रियान्वयन के दौरान क्या होगा।

82. ऊपर प्रस्तुत दावों के दूसरे सेट के संबंध में कुछ एक तथाकथित नुक़सानों को इनके प्रभाव क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, तो ये परियोजना के सक्षेत्र से बाहर के भी हो सकते हैं, जिनका *ईए* में उल्लेख किया गया है। दावों में *एक्सटरनेलिटीज़* को ऐसा तत्व पाया गया है, जिन पर परियोजना के प्रभाव क्षेत्र की विस्तारित परिभाषा के संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए और

कुछ मुद्दों के लिए आवर्ती प्रभावों तथा रुझानों के अधिक विस्तृत मूल्यांकन को शामिल किया जा सकता है। पैनल की प्रक्रिया के इस चरण में पैनल इस बारे में निर्णायक मूल्यांकन नहीं कर सकता कि क्या ऐसा विश्लेषण विश्व बैंक की नीतियों और कार्यपद्धतियों के परिपालन के संदर्भ में परियोजना से परे जा सकता है। लेकिन, नीचे दिए गए खंड में पैनल ने इस बात की समीक्षा की है कि क्या इन मुद्दों से विश्व बैंक द्वारा नीतियों और कार्यपद्धतियों का परिपालन न करने के बारे में सवाल उठ सकते हैं।

(ii) ***परिपालन-संबंधी मुद्दे***

83. निरीक्षण के लिए अनुरोध में अनेक दावे प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बैंक के प्रबंध-मंडल ने अपनी परिचालन नीतियों और कार्यपद्धतियों का परिपालन नहीं किया है, जिसका परिणाम प्रभावित लोगों और पर्यावरण को लिए नुक़सान या संभावित भारी हानि के रूप में निकला है। अनुरोध में विशेष रूप से पर्यावरणीय मूल्यांकन, प्राकृतिक पर्यावास *(नैचुरल हैबिटैट),* अस्वैच्छिक पुनर्वास, शारीरिक व्यायाम संसाधन, परियोजना का मूल्यांकन निवेश संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन और परियोजना की देखभाल से संबंधित बैंक की नीतियों के परिपालन से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं।

84. इस आशय का दावा वह एक प्रमुख मुद्दा है कि बैंक ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि विभिन्न पक्षों *(स्टेकहोल्डर्स)* पर परियोजना के कतिपय महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की पहचान करने तथा इन पर ध्यान देने के लिए परियोजना के परिभाषित प्रभाव क्षेत्र के भीतर उपयुक्त पर्यावरणीय मूल्यांकन करना चाहिए था। दूसरे प्रमुख मुद्दे का संबंध परियोजना के साथ-साथ अन्य मौजूद और नियोजित पन-बिजली परियोजनाओं और जल-संभर तथा क्षेत्र में संबंधित अवसंरचना के अधिक व्यापक आवर्ती मूल्यांकन से है। अंतिम और तीसरा दावा यह है कि बैंक द्वारा किए गए परियोजना के मूल्यांकन में आर्थिक विश्लेषण में, जो इसका आधार है, विश्लेषण-संबंधी गंभीर त्रुटियां हैं।

85. **पर्यावरणीय प्रभावों, मूल्यांकन और प्रभावों के दूर करने के *(मिटिगेशन)* उपायों का कार्य-क्षेत्रः** जैसा कि ऊपर खंड (i) में कहा गया है कि अनुरोधकर्ताओं ने विशेषकर संभावित प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में *ईआईए* की पर्याप्तता पर सवाल किया है, जिनका, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भूमि-अर्जन और पुनर्वास से सीधा संबंध नहीं है। इसके अलावा, अनुरोध में नुक़सान को टालने और इसके लिए मुआवज़ा देने से बचने के लिए *ईएमपी* में उल्लिखित उपायों पर क्रियान्वयन के बारे में उल्लेखनीय चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अनुरोधकर्ताओं ने यह दावा भी किया है कि हतसारी के निवासियों को दिए गए ऑफ़र्स से यह सुनिश्चित नहीं होता कि अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति के तहत बैंक के मानकों को अपनाया जाएगा।

86. परियोजना क्षेत्र के दौरे के दौरान, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, पैनल ने नकारात्मक प्रभावों के साक्ष्यों के बारे में सुना और इन्हें देखा, जिन्हें स्थानीय इलाके में महत्त्वपूर्ण माना जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये परियोजना की देन हैं। इन आरोपों में *ईआईए* के कार्य-क्षेत्र तथा *ईएमपी* में उल्लिखित मिटिगेशन-संबंधी उपायों के बारे में ही नहीं, बल्कि प्रबंध-मंडल द्वारा परियोजना की देखरेख के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं।

87. **अधिक व्यापक और आवर्ती प्रभावों का मूल्यांकनः** पैनल ने नोट किया है कि इस प्रकार की परियोजना से महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, जैसे प्रभाव क्षेत्र की परिभाषा और इसकी सीमा की रूपरेखा; संबंधित विश्लेषण में किन संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाए; और एक ही नदी के बेसिन में, जिसमें परियोजना अपना अंशदान करेगी, मौजूद ऊर्जा और अवसंरचना-संबंधी परियोजनाओं की सीरिज के आवर्ती प्रभावों पर किस तरह ध्यान दिया जाए। पैनल का मानना है कि बैंक ने 2009 में आवर्ती प्रभावों का मूल्यांकन कराया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट नवम्बर 2009 में प्रसारित की गई थी।[47] जुलाई 2010 में धार्मिक और पर्यावरणीय समूहों के विरोध पर प्रतिक्रियास्वरूप भारत सरकार ने अलकनंदा नदी के बेसिन में पन-बिजली उत्पादन के आवर्ती प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से रुड़की-स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान (अप्रैल 2011 में रिलीज़) और भारतीय वन्यजीव संस्थान *(डब्ल्यूआईआई)* (जून 2012 में रिलीज़) से दो अध्ययन कराए थे। इन अध्ययन-कार्यों के परिणामस्वरूप *वीपीएचईपी* के मूल पर्यावरणीय प्रवाह को 3 क्यूमेक्स से बढ़ाकर 15.65 क्यूमेक्स कर देने का प्रस्ताव है। इस पर्यावरणीय प्रवाह को चतुर्वेदी आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ जाने पर भारत सरकार द्वारा पुनः बढाया जा सकता है।[48] पैनल को पता चला है कि चतुर्वेदी आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को फरवरी 2013 तक के लिए स्थगित कर दिया है।[49]

88. पैनल ने नोट किया है कि प्रबंध-मंडल इन राष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में बताया गया है कि पर्यावरणीय प्रवाह की 15.65 क्यूमेक्स की आवश्यकता को *"उस महत्व के मिश्रित कदम के रूप में देखा जा सकता है, जिसे भारतीय समाज अन्य उद्देश्यों के लिए नदी का उपयोग करने के बजाय इस नदी को प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने को देता है।"* [50] इसमें आगे बताया गया है कि *"पर्यावरणीय प्रवाह की कसौटी*

---

[47] लार्ज-स्केल हाइड्रोपॉवर ऑन द अलकनंदा रिवरः क्यूम्यूलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, फ़ाइनल रिपोर्ट, मोट्ट मैक्डोनल्ड ग्रुप, नवम्बर 2009.

[48] According to a MoEF press release dated July 6, 2010, the GRBMP will *"aim to have adequate provision foe water and energyin the Ganga Basin to accommodate the pressures of increased population, urbanization, industrialization and agriculture while ensuring the sanctityof the fundamental aspects of the river system are protected.These include: (i) river must continuously flow (Aviral Dhaara), (ii) river must be seen as a carrier of waste loads (Nirmal Dhaara), (iii) river must have longitudinal and lateral connectivity, (iv)river must have adequate space for itsvarious functions, (v) river must function as an ecological entity".* See: http://moef.nic.in/modules/recent-initiatives/NGRBA/DOC20100706.pdf

[49] See Indian Express news article "Eye on Kumbh, Ganga panel term extended at http://www.indianexpress.com/news/eye-on-kumbh-ganga-panel-term-extended/1027316/0

[50] प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया, पृ.15.

पर एक ही नदी में परियोजनाओं की सीरिज़ के आवर्ती प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।" पैनल ने नोट किया है कि पहले से अधिक पर्यावरणीय प्रवाह की मदद से *लीन सीज़न* में धार्मिक अनुष्ठानों और पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पेय जल सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन, इससे अधिक व्यापक संबंधित और आवर्ती प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, जैसे जलवायु से संबंधित प्रभाव, भू-स्खलन का ख़तरा, यातायात/सड़क और धूल, जलीय जीवन और नदी के अविरल बहाव का आध्यात्मिक मूल्य।

89. गंगा नदी के आध्यात्मिक और धार्मिक पहलू भी उपर्युक्त से संबंधित हैं, एक ऐसा बिंदु, जिसे अनुरोधकर्ताओं और अन्य पक्षों *(स्टेकहोल्डर्स)* ने लगातार उठाया है, जिनसे पैनल भारत में अपने प्रवास के दौरान मिला था। इन विचारविमर्शों से निकलने वाला सामान्य भाव यह है कि धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार बांध नदी के बहाव में बाधा पैदा करते हैं, जिसका अनुरोधकर्ताओं की धार्मिक मान्यताओं और कृत्यों पर असर पड़ता है। प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में बिजली उत्पादन के नज़रिये से जल के निर्बाध बहाव की अव्यवहारिकता का उल्लेख किया गया है और केवल दो शमशान घाटों के संबंध में मिटिगेशन-संबंधी केवल दो प्रस्तावित उपायों का उल्लेख किया गया है। अनुरोध में इस बारे में गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि क्या प्रबंध-मंडल ने इस मुद्दे पर लागू होने वाली नीतियों का परिपालन किया है।

90. **आर्थिक विश्लेषणः** निरीक्षण के लिए अनुरोध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना के लिए किया गया आर्थिक विश्लेषण त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि इसमें परियोजना के लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था और यह परियोजना की कतिपय उल्लेखनीय पर्यावरणीय और सामाजिक/सांस्कृतिक *एक्सटर्नेलिटीज़* पर ध्यान देने में असफल रहा था। *ईए* से संबंधित दावों की तरह अनुरोध में भी यह गंभीर सवाल उठाया गया है कि क्या निर्णय करने वालों को परियोजना के वास्तविक लाभों और लागत तथा विकास पर इसके व्यापकतर प्रभावों के बारे में पर्याप्त और समुचित आधार सुलभ कराया गया था।

91. **पैनल की समीक्षाः** पैनल ने अनुरोध में प्रस्तुत नीति का परिपालन न करने से संबंधित प्रत्येक आरोप के बारे में प्रबंध-मंडल की विस्तृत प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्रबंध-मंडल ने दावा किया है कि परियोजना-संबंधी दस्तावेज़ों और नियोजन में इसके संभावित प्रभावों और चिंताओं पर ध्यान दिया गया है, जो बैंक की नीतियों के अनुरूप है और भावी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए *अडेप्टिव* दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रबंध-मंडल ने अन्य बातों के अलावा यह भी उल्लेख किया है कि इसने एक बार बैंक के काम शुरू करते ही परियोजना के आरंभिक *ईए* का संवर्धन करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन कराने का अनुरोध किया है और भारत सरकार द्वारा कराए अतिरिक्त अध्ययनों, इन मुद्दों पर चल रहे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद के साथ-साथ पहले उल्लिखित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(एनजीटी)* के निर्णयों का हवाला दिया है।

92. अपनी यात्रा के दौरान पैनल को अनुरोध में प्रस्तुत किए गए दावों के बारे और अधिक जानकारी एकत्र करने का अवसर मिला। एक ओर तो पैनल ने परियोजना के पक्ष में गवाही सुनी और प्रभावित लोगों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की इच्छा के साथ अपेक्षित लाभों की प्रशंसा सुनी। दूसरी ओर पैनल ने परिय़ोजना की तैयारी से संबंधित कुछ कार्यों के बारे में गवाही सुनी, जिसकी वजह से बहुत नुक़सान पहुंचा था और परियोजना की वजह से व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था, जिस पर न तो समुचित रूप से विचार किया गया था और न ही ध्यान दिया गया था।

(ङ) सिफ़ारिशें

93. अनुरोधकर्ताओं और अनुरोध को तकनीकी पात्रता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, जिनका उल्लेख उस प्रस्ताव में किया गया है, जिसके तहत निरीक्षण पैनल और 1999 के स्पष्टीकरण का गठन हुआ था।

94. पैनल ने उल्लेख किया है कि अनुरोध और प्रबंध-मंडल की प्रतिक्रिया में दावों के बीच टकराव है। पैनल ने आगे उल्लेख किया गया है कि दावों में परिपालन न करने और गंभीर किस्म के नुक़सान से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए तथाकथित नुक़सान और परिपालन से संबंधित मुद्दों की गंभीर प्रकृति के बारे में ऊपर प्रस्तुत ऑब्ज़र्वेशंस के परिप्रेक्ष्य में पैनल द्वारा निरीक्षण के लिए अनुरोध में उठाए गए तथाकथित नुक़सान और परिपालन से संबंधित मुद्दों की जांच-पड़ताल करने की सिफ़ारिश की गई है, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है।

95. पैनल ने कहा है कि जांच-पड़ताल यहां दिए गए बिंदुओं पर केन्द्रित होगीः (क) अनुरोध पत्र में व्यक्त की गई स्थानीय स्तर के नुक़सान या संभावित नुक़सान के बारे में मुख्य चिंताएं और निवारक तथा इन्हें दूर करने के उपायों की पर्याप्तता, जिनकी रूपरेखा परियोजना के दस्तावेज़ों में दी गई है, जो बैंक की परिचालन नीतियों और कार्यपद्धतियों द्वारा मांगे जाते हैं, और (ख) क्या बैंक के प्रबंध-मंडल ने परियोजना की तैयारियों के दौरान संभावित हानि के व्यापकतर मुद्दों के संबंध में सभी लागू नीतियों और कार्यपद्धतियों का परिपालन किया है।

96. पैनल ने उल्लेख किया है कि जांच-पड़ताल में हतसारी बस्ती के निवासियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए प्रबंध-मंडल द्वारा किए गए प्रयासों पर भी ग़ौर किया जाएगा। पैनल गंगा नदी के बारे में चालू राष्ट्रीय प्रक्रियाओं और अलकनंदा नदी पर पन-बिजली के विकास के लिए इनके निहित अर्थों पर भी ध्यान देगा।

******

इस दस्तावेज़ का अंग्रेजी मूल दस्तावेज़ ही असल दस्तावेज़ है. यदि कोई भी विवाद की स्थिति बनती है तो अंग्रेजी दस्तावेज़ ही संचालन करेगा

The original English version of this document remains the sole official version and governs in case of discrepancies.